न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2017–छतरपुर

1. नाथूराम गुप्ता
2. राकेश कुमार गुप्ता पुत्रगण श्री हरसेवक गुप्ता निवासीगण– ग्राम बमीठा तहसील राजनगर, जिला– छतरपुर.......आवेदकगण

बनाम

गुरूदेव मिश्रा पुत्र श्री गोमती प्रसाद मिश्रा निवासी– ग्राम बमीठा तहसील राजनगर, जिला– छतरपुर ....अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार चन्द्रनगर तहसील राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 42/अ–3/2016–17 आदेश दिनांक 30.06.2017 की प्रमाणित प्रतिलिपि 20.09.2017 को प्राप्त हुई।

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार प्रस्तुत है –

यहकि, विवादित आराजी नंबर 903/5, 903/3, 905/6/3, 905/5/1/1 की तरमीम अनावेदक ने बिना निगरानीकर्ता को सूचना दिये बिना एक तरफा बाला बाला आदेश पारित कर लिया। जब निगरानीकर्ता के पुत्र को संबंधित पटवारी ने दिनांक 12.09.2017 को मौखिक तौर पर बताया कि अनावेदक ने कुछ नंबरों पर तरमीम करा ली है उसमें तुम्हारे नंबर भी प्रभावित हुये है। तब निगरानीकर्ता के पुत्र हरिशंकर पुत्र श्री नाथूराम गुप्ता संबंधित न्यायालय दिनांक 13.09.2017 को गया एवं संबंधित बाबू से संपर्क किया तब संबंधित बाबू ने बताया कि तुम्हारे खिलाफ कुछ आदेश हो गया है तब उसकी दिनांक 13.09.2017

निरन्तर

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/3551 **जिला** – छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.10.2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कुंवर सिंह कुशवाह एवं अनावेदक क. 2 शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। उभयपक्षों को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण में संलग्न पंचनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में नक्शा तरमीम की कार्यवाही सरहदी कृषकों की उपस्थिति में की गई है। अतः आवेदक का यह तर्क कि उन्हें सूचना नहीं दी गई। मान्य किये जाने योग्य नहीं है। परिणामतः यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	